भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 744
13 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा पर्यटन के लिए अस्पताल को मान्यता प्रदान किया जाना

744. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल ग्लोबल एक्रेडिटेशन के अंतर्गत और अधिक अस्पतालों को शामिल करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है क्योंकि देश में लगभग ऐसे 39 अस्पताल ही हैं जो भारत जैसे देश के लिए बहुत कम हैं; और

(ख) क्या सरकार ने लूटने वाली प्रथाओं को समाप्त करने हेतु अंतरराष्ट्रीय रोगियों को व्यापक विकल्पप्रदान करने के लिए कोई मूल्य निर्धारण नीति तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) ने स्वास्थ्य प्रणाली के संवर्धन और गुणवत्ता सुधार व रोगियों की सुरक्षा के प्रोन्नयन के उद्देश्य से अस्पतालों, स्वास्थ्य परिचर्या संगठनों के लिए प्रत्यायन कार्यक्रमों को स्थापित व परिचालित करने के लिए राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) स्थापित किया है। इस समय भारत में 1400 से अधिक एनएबीएच- प्रत्यायित स्वास्थ्य परिचर्या संगठन हैं।

सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं, पारदर्शी मूल्य निर्धारण, निर्बाध आवागमन, किफायती उपचार और भारत के समृद्ध अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे कि अस्पताल,एनएबीएच, मेडिकल वेल्यू ट्रेवल (एमवीटी) सुविधाप्रदाताओं और विनियामक निकायों आदि के साथ सहयोग किया है।

जेसीआई एक अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन एजेंसी है और कोई भी अस्पताल स्वतंत्र रूप से जेसीआई प्रत्यायन के लिए आवेदन कर सकता है।

******